प्रेस नोट दिनांक 26.09.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना –रानीगंज

रानीगंज पुलिस ने 02 चोरों को दबोचा, चोरी का इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) व क्षेत्राधिकारी रानीगंज के कुशल नेतृत्व में अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध एक्शन जारी।

पंचायत भवन कसेरूआ से चोरी हुए इलेट्रॉनिक सामान बरामद, 02 चोर गिरफ्तार

चेकिंग के दौरान उ0नि0 रोहित कुमार, उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव, का0 मनोज कुमार द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों की गई गिरफ्तारी

कसेरूआ पुल के पास से 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

प्रतापगढ़।

दिनांक 22/23.09.2024 की रात्रि में थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कसेरूआ स्थित पंचायत भवन से इलेक्ट्रानिक सामानों की चोरी करने वाले 02 चोरों को थाना रानीगंज पुलिस द्वारा कसेरूआ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी हुए इलेक्ट्रानिक सामानों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 22/23.09.2024 की रात्रि में थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कसेरूआ स्थित पंचायत भवन से अज्ञात चोरों द्वारा इलेक्ट्रानिक सामानों की चोरी के संबंध में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 347/24 धारा 305, 331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के कुशल मार्गदर्शन/ निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 26.09.2024 थाना रानीगंज के प्रभारी निरीक्षक आदित्य कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 रोहित कुमार, उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव, का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त/चेकिंग/विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 347/24 धारा 305, 331(4) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों रिषभ उर्फ ऋषि पटेल पुत्र शिवमूरत उर्फ गोल निवासी कसेरूआ (टेकीपुर) थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ तथा मोहत गौतम पुत्र सभापति गौतम निवासी हैंसी परजी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को सत्ती (कसेरूआ) पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से 03 बोरियों को बरामद किया गया जिसमें चोरी के इलेक्ट्रानिक सामान 01 बैट्री, 01 सीपीयू, 02 प्रिन्टर, 02 मॉनीटर हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि बरामद हुए तीनों बोरियों में पंचायत भवन से चोरी किये गये इलेक्ट्रानिक सामान है। हम अपने 03 अन्य साथियों श्यामू गौतम पुत्र अमृत लाल गौतम निवासी लाखूपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, सूरज गौतम पुत्र बांकेलाल निवासी हैंसी परजी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, भोला उर्फ पतरका सरोज पुत्र अज्ञात निवासी लाखूपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर योजना बनाकर दिनांक 22/23.09.2024 की रात्रि में पंचायत भवन कसेरूआ की खिड़की काटकर अन्दर से 02 मानीटर, 01 सीपीयू, 02 प्रिन्टर, सीसीटीवी कैमरा, 01 डीवीआर, 01 इनवर्टर, 02 बैट्री को चुराकर ले गये थे। उसी समय कुछ चोरी के सामानों को हमारे साथी श्यामू, सूरज, भोला अपने साथ ले गये थे। हम लोग चोरी के छिपाये हुए सामानों को बेचने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1-रिषभ उर्फ ऋषि पटेल पुत्र शिवमूरत उर्फ गोल निवासी कसेरूआ (टेकीपुर) थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

2-मोहत गौतम पुत्र सभापति गौतम निवासी हैंसी परजी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी –

चोरी के इलेक्ट्रानिक सामान 01 बैट्री, 01 सीपीयू, 02 प्रिन्टर, 02 मॉनीटर।

पुलिस टीम - उ0नि0 रोहित कुमार, उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव, का0 मनोज कुमार थाना रानागंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के ग्राम ढेहरना से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.09.2024 को वादी की बहन को दहेज को लेकर आरोपीगणों द्वारा हत्या करने के प्रकरण में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 312/2024 धारा 80, 85 बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डीपी एक्ट बनाम 03 नामजद अभियुक्त व 01 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस व थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह का0 विपिन यादव, का0 धीरज कुमार द्वारा थाना कोतवाली देहात के मु0अ0सं0 312/2024 धारा 80, 85 बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित अभियुक्त सुदामा सिंह पुत्र हरिप्रसाद सिंह निवासी ग्राम ढेहरना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 26.09.2024 को थानाक्षेत्र के ग्राम ढेहरना से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

अभियुक्त सुदामा सिंह पुत्र हरिप्रसाद सिंह निवासी ग्राम ढेहरना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह का0 विपिन यादव, का0 धीरज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ –

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व में अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध एक्शन जारी।

एसपी के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश/संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु दिये गये थे सख्त निर्देश

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा चोरी की 02 अदद बोरी गेहूँ, 01 अदद चावल की बोरी व 5000/- रूपये बरामद।

चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 घनश्याम मय हमराह का0 आनंद यादव द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित अभियुक्त की गई गिरफ्तारी

अस्थवा नहर पुल खनवारी से मनगढ़ जाने वाली सड़क पर से 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

प्रतापगढ़।

दिनांक 19.09.2024 को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम काजीपुर कुसेमर निवासिनी वादिनी के घर से आरोपीगणों द्वारा चोरी कर लेने के संबंध में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 221/24 धारा 331(4)/305 BNS बनाम 01नामजद अभियुक्त व 01अज्ञात अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल मार्गदर्शन/ निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 26.09.2024 थाना संग्रामगढ़ के प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 घनश्याम मय हमराह का0 आनंद यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त/चेकिंग/विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना संग्रामगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 221/24 धारा 331(4)/305 BNS से संबंधित अभियुक्त शिवा पुत्र पुत्तीलाल निवासी ग्राम काजीपुर कुसेमर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत अस्थवा नहर पुल खनवारी से मनगढ़ जाने वाली सड़क पर से चोरी की 02 अदद बोरी गेहूँ, 01 अदद चावल की बोरी व 5000/- रूपये गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

शिवा पुत्र पुत्तीलाल निवासी ग्राम काजीपुर कुसेमर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी –

चोरी की 02 अदद बोरी गेहूँ, 01 अदद चावल की बोरी व 5000/- रूपये बरामद।

पुलिस टीम - उ0नि0 घनश्याम मय हमराह का0 आनंद यादव थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के उ0नि0 प्रवीण कुमार दुबे मय हमराह हे0का0 लालबाबू शुक्ला द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान अ0स0 32/23 धारा 498ए,232,504,506 भादवि 3/4डीपी एक्ट, महिला थाना से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 1- सोनू उर्फ राजकुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामनारायण वर्मा 2- जितेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामनारायण वर्मा निवासीगण ग्राम सरौली थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का विवरण-

1- सोनू उर्फ राजकुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामनारायण वर्मा निवासी ग्राम सरौली थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ ।

2- जितेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामनारायण वर्मा निवासी ग्राम सरौली थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 प्रवीण कुमार दुबे मय हमराह हे0का0 लालबाबू शुक्ला थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।